कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक 383 / 23 डी   दिनांक: 30-6-21

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
इन्द्रानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून।

विषयः– मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं० 93 / 2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में अमोठा से डोला हाईस्कूल लिंक मार्ग का नव निर्माण कार्य। **(FP/UK/ROAD/37699/2018)**

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 8बी० / यू०सी०पी० / 06 / 29 / 2021 एफ०सी०/ 2477 दिनांक 17.03.2021

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है।

क्रमांक	आपत्ति	निराकरण
1	On perusal of the KML file of the proposed road, it is noticed that village at the end point is already connected with the road which has also been mentioned in the justification. State Government may submit the justification for requirement of additional connectivity in the hill area.	ग्राम डोला, डोला न्यायपंचायत मार्ग के किमी० 4 से पूर्व में ही संयोजित है, किन्तु इस मार्ग के बन जाने से अमगढ़ी व पाटकोट गांव के निवासियों को कोटाबाग ब्लाक तक आने जाने में रामनगर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और इस मार्ग से जाने पर लगभग 17.00 किमी० दूरी की बचत होगी।
2	Location of benefitted village, alternate road and muck dumping sites not marked in the KML file. State Government may mark the location of benefitted village, alternate road and muck dumping sites on KML file and upload the same at para C in Part I online.	लाभान्वित ग्रामों को KML में अंकित कर पार्ट 1 के पैरा C में पूर्व में ही अपलोड किया गया है। इसके अतिरिक्त मार्ग का एक ही समरेखण चयनित किया गया है। अतः वैकल्पिक समरेखण की कोई आवश्यकता नहीं है, साथ ही निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलुवे का निस्तारण नहीं किया जाना है।
3	Number of trees to be affected mentioned as Nil. However, the area seems dense. State Government may clarify whether any jeep road/LVR available there.	संयुक्त निरीक्षण के दौरान ऐसे समरेखण का चयन किया गया है, जिसमें पेड़ों की संख्या शून्य हो। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्ताव में मूल रूप में ही संलग्न है। जिसकी प्रति पुनः प्रेषित की जा रही है, जो Additional information में क्रम सं0 70 में अपलोड कर दी गयी है।
4	As per the DSS analysis, 1.40 ha area of CA is overlapping with the proposal No. FP/UK/Road/40832/2019.	इस योजना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 3.33 है० भूमि ग्राम तल्ला बगड़, पट्टी बगड़, तहसील व जिला नैनीताल के खाता सं0 32, खसरा सं0 148 के मध्य कुल रकबा 7.039 है० में से 3.330 है० वन विभाग के पक्ष में हस्तानान्तरित की जा चुकी है। Overlapping के सम्बन्ध में सूचना जिलाधिकारी नैनीताल से मांगी गयी थी, जिसके क्रम में उपजिलाधिकारी नैनीताल की की आख्या Additional information में क्रम सं0 71 में अपलोड कर दी गयी है।
5	Details of alternate not provided at para D (ii) (a) in Part I, which is required to be done.	मार्ग के निर्माण हेतु न्यूनतम लम्बाई 3.40 किमी० होने एवं कोई वृक्ष प्रभावित न होने के कारण केवल एक ही समरेखण पर विचार किया गया है। जिस कारण वैकल्पिक समरेखण की आवश्यकता नहीं है, जो पैरा D (ii) (a) में अंकित है।
6	State Government may submit the CA scheme mentioning the name of the CA area.	C.A. Scheme प्रस्ताव में मूल रूप में ही संलग्न है। जिसकी प्रति पुनः Additional information में क्रम सं0 72 में अपलोड कर दी गयी है।
7	Aerial distance of the proposed area from the Nanda Devi Conservation reserve is 2.4 Km. State Government may submit the comments of DFO and CWLW in this regard.	Aerial Distance Certificate के सम्बन्ध में मांगी गयी सूचना प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर के स्तर से दी जानी है।
8	State Government may submit the work not start certificate duly authenticated by the concerned DFO.	कार्य प्रारम्भ नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर से हस्ताक्षरित कर प्रस्ताव में मूल रूप में ही संलग्न है। जिसकी प्रति पुनः Additional information में क्रम सं0 73 में अपलोड कर दी गयी है।
9	It has been mentioned that 17199 cum muck will be utiized out of 21420 cum but no plan submitted for disposal of remaining muck. State Government may submit clarification in this regard and submit the correct and complete muck disposal plan.	निर्माण कार्य के दौरान उत्सर्जित होने वाले मलुवे की मात्रा 21420 घन मी० होगी एवं मार्ग में भरान व अन्य कार्यों के निर्माण हेतु 22276.80 घन मी० मलुवे की आवश्यकता होगी, जो त्रुटिवश 17199 घन मी० दिखाया गया था। जिसे संशोधित कर दिया गया है। इस प्रकार निर्माण कार्य हेतु 856.80 घन मी० अतिरिक्त मलुवे की आवश्यकता होगी जिस कारण मलुवा निस्तारण की आवश्यकता नहीं है। जिसकी गणना प्रपत्र Additional information में क्रम सं0 74 में अपलोड कर दी गयी है।

अतः सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय
30/06/21

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक /   दिनांक

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त लो०नि०वि० नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रामनगर (नैनीताल)